राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

फाइल संख्या - .NCBC/DO/2019/20-VC

सुनवाई की तिथि – 08.07.2020

***

श्रीमति उमेश यादव पत्नी श्री पदम् सिंह यादव के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 में दिनांक 08.07.2020 समय 14:00 बजे सुनवाई नियत की गयी|

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. श्री लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष महोदय
2. श्री संदीप कुमार, निजी सचिव मा0 उपाध्यक्ष
3. श्री बी.के. पति, उप सचिव
4. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
5. राजशी पटवारी, अनुसंधान अन्वेषक

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण :-

1. आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ,
2. अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ,
3. जिलाधिकारी, मेरठ,
4. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मेरठ,

उपस्थित पक्षगण :-

1. श्री पदम् सिंह यादव, शिकायतकर्ता

उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री चंद्रेश कुमार सिंह, अपर सिटी मजिस्ट्रेट (ACM)
2. श्री जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक)
3. श्री उमेश कुमार सिंह, (उप निरीक्षक)

संलग्न :-

1. श्रीमती उमेश यादव द्वारा प्रेषित शिकायत एवं संलग्न पत्र|
2. जाँच आख्या|

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

फाइल संख्या - .NCBC/DO/2019/20-VC

सुनवाई की तिथि – 08.07.2020

***

श्रीमति उमेश यादव पत्नी श्री पदम् सिंह यादव के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 में दिनांक 08.07.2020 समय 14:00 बजे सुनवाई नियत की गयी |

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. श्री लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष महोदय
2. श्री संदीप कुमार, निजी सचिव मा0 उपाध्यक्ष
3. श्री बी.के. पति, उप सचिव
4. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
5. राजशी पटवारी, अनुसंधान अन्वेषक

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण :-

1. आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ,
2. अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ,
3. जिलाधिकारी, मेरठ,
4. वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक, मेरठ,

उपस्थित पक्षगण :-

1. श्री पदम् सिंह यादव, शिकायतकर्ता

उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री चंद्रेश कुमार सिंह, अपर सिटी मजिस्ट्रेट (ACM)
2. श्री जीतेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक (ट्रैफिक)
3. श्री उमेश कुमार सिंह, (उप निरीक्षक)

संलग्न :-

1. श्रीमती उमेश यादव द्वारा प्रेषित शिकायत एवं संलग्न पत्र |
2. जाँच आख्या |

पूर्व सुनवाई / जाँच का विवरण :-

आवेदक द्वारा लगाये गए आरोप :-

संलग्न प्रार्थना पत्र में आवेदिका श्रीमती उमेश यादव द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदिका ने अपनी भूमि खसरा न. 976/993 रकबई 0.7164 है० अथवा 7164 वर्ग मीटर स्थित ग्राम घाट परगना तहसील व जिला मेरठ का एक विक्रय पत्र अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर दिनांक 18.05.2011 को अंकन 1,75,00,000 /- (एक करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये में सुभारती विश्विद्यालय/सुभारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ के चेयरमैन श्री अतुल भटनागर के विश्वासपात्र/अधिनस्थ कर्मचारी अरविन्द पुत्र श्री लटूर सिंह निवासी ग्राम राजपुर, पोस्ट फरुखनगर, जनपद गाजियाबाद के हक़ में तहरीर व तकमील कराकर रेजि० कराया था | जिसमे आवेदिका के अपने हिस्से की भूमि का अंकन 35,00,000/- (पैंतीस लाख) रूपये का एक किता चेक नंबर 791254 दिनांक 18.11.2011 मौसुमा पंजाब नेशनल बैंक शाखा दौराला जनपद मेरठ प्राप्त किया, लेकिन जब मैंने उपरोक्त चैक को अपने खाते में जमा किया तो वह चैक बाउंस हो गया जिसको लेकर हम सुभारती विश्विद्यालय के चेयरमैन के पास लेकर गए (क्योकि मेरी भूमि को बेचने का सौदा सुभारती विश्वविद्यालय के चेयरमैन अतुल भटनागर के साथ में हुआ था) तो उनके अंगरक्षको ने मुझे मारपीट करके कैंपस से भगा दिया और मुझे अतुल भटनागर एवं उसके अंगरक्षको ने जान से मारने की धमकी दी और आजतक मेरी जमीन पर कब्ज़ा करके उस पर अपनी बिल्डिंग बना ली और मेरी जमीन के पैसे भी मुझको नहीं दिए है, जैसे कतिपय आरोप अंकित किये |

<u>क्षेत्राधिकारी सरधना, जनपद मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या :-</u>

क्षेत्राधिकारी सरधना जनपद मेरठ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित पत्रांक –एसटी-सिओएस-(जा0आ0)/2020 दिनांकित फ़रवरी 17, 2020 में अवगत कराया गया कि, उपरोक्त प्रकरण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं कि पक्षों को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए पत्रों के अवलोकन करने पर प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण के संबंध शपथ पत्र को अरविंद द्वारा स्वयं उपस्थित होकर सत्यापित कराया जाना एवं उपरोक्त प्रेषित चैक जिसे डॉक्टर अतुल भटनागर द्वारा भरा जाना बताया गया की जांच किया जाना अपेक्षित है | आगामी सुनवाई के दौरान डॉक्टर अतुल भटनागर, अरविंद व गवाहों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए |

उक्त के संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 15.02.2020 को डॉक्टर अतुल भटनागर का मा0 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली में आगामी सुनवाई 19-02-2020 को उपस्थित होने के लिए नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया, थाना जानी से प्राप्त आख्या व नोटिस के जवाब में मिली जानकारी से पाया गया कि डॉक्टर अतुल भटनागर का दिनांक 16.01.2020 को ऑपरेशन हुआ, जिन्हें दिनांक 10-02-2020 को गंगाराम अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए एडमिट किया गया, जहां पर वह उपचाराधीन है, श्रीमान जी माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा यह निर्देश भी निर्गत हुए थे कि उपरोक्त प्रेषित चैक जिसे डॉक्टर अतुल भटनागर द्वारा भरा जाना बताया गया की जाँच किया जाना अपेक्षित है के संबंध में यह भी बता देना

चाहता हूं कि उक्त प्रेषित चैक जो डॉक्टर अतुल भटनागर द्वारा भरा जाना बताया गया है उसके लिए डॉक्टर अतुल भटनागर हस्तलेख के नमूने लिए जाने आवश्यक है उसके उपरांत उन हस्तलेख को मिलान होने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जाना आवश्यक होगा | तभी स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि उपरोक्त प्रेषित चैक डॉक्टर अतुल भटनागर द्वारा भरा गया है या नहीं, चूँकि डॉक्टर अतुल भटनागर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में उपचाराधीन हैं, जब तक डॉक्टर अतुल भटनागर का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता तब तक उनके हस्तलेख के नमूने लिए जाना संभव नहीं होगा | डॉक्टर अतुल भटनागर के स्वस्थ होने पर ही उनसे संपर्क कर उनके हस्तलेख नमूने लिए जाएंगे | डॉक्टर अतुल भटनागर को प्रेषित नोटिस की छाया प्रति संलग्न है |

तदनुसार, क्षेत्राधिकारी सरधना जनपद मेरठ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को प्रेषित पत्रांक – एसटी-सिओएस-(जा0आ0)/2020 दिनांकित जुलाई 03, 2020 में अवगत कराया गया कि,उपरोक्त प्रकरण के संबंध में माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा निर्गत किए गए निर्देश के अनुसार की गई कार्यवाही, अभिलेखीय अवलोकन व मेरे द्वारा की गई जांच से मुकदमा वादिनी/ आवेदिका श्रीमती उमेश यादव पत्नी श्री पदम सिंह यादव निवासी 134, मुल्तान नगर जनपद मेरठ के द्वारा थाना जानी जनपद मेरठ पर दिनांक 28.02.2020 को मुकदमा अपराध संख्या 60/20 धारा 406, 420 भादवी बनाम 1. डॉक्टर अतुल भटनागर, सुभारती थाना जानी जनपद मेरठ 2. अरविंद पुत्र लटूर सिंह निवासी राजपुर लोनी थाना गाजियाबाद के विरुद्ध वादी द्वारा दिनांक 11.11.11 को 12 बीघा जमीन का सौदा ₹1000 गज के हिसाब से ₹1 करोड़ 20 लाख में अभियुक्त डॉक्टर अतुल भटनागर को तय करना, डॉक्टर अतुल भटनागर के कैशियर द्वारा 75 लाख रूपये को दिखाना, 35 लाख का 6 महीने बाद का चैक तथा 5 लाख नगद देकर अभियुक्त अरविंद के नाम बैनामा करवाना, अभियुक्त द्वारा दिए गए चैक बाउंस हो जाना व 5 लाख अलग अन्य कोई रूपये भी न देने के सम्बन्ध में पंजीकृत होकर विवेचना व0उ0नि0 श्री विनोद कुमार द्वारा ग्रहण कर प्रारंभ की गयी, व0उ0नि0 श्री विनोद कुमार के स्थानांतरण फलस्वरूप मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 श्री अनिल कुमार द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही है, कोविड -19 वायरस महामारी के कारण 3-4 महीने लॉकडाउन के कारण मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं हो सकी है |

जिलाधिकारी, जनपद मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या :-

जिलाधिकारी जनपद मेरठ द्वारा प्रेषित पत्रांक संख्या 564/जे0ए0प्रथम-1600/19-मा0आयोग-2019-20 दिनांकित जुलाई 07, 2020 में अवगत कराया गया कि, प्रश्नगत प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ने अपने पत्र संख्या-32 आर पि0वर्ग आयोग/19 दिनांक 06.07.2020 जो कि माननीय आयोग को संबोधित है तथा जिसकी प्रति इस कार्यालय को पृष्ठांकित की गयी है, के द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में क्षेत्राधिकारी सरधना, मेरठ को निर्देशित

कर आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अवलोकन से विदित हुआ कि आवेदिका श्रीमती उमेश यादव उपरोक्त के प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में दिनांक 28.02.2020 को थाना जानी, मेरठ पर मु0अ0सं0 60/2020 धारा 406, 420 भादवि बनाम डॉ. अतुल भटनागर, अरविन्द पंजीकृत किया गया है | जिसकी विवेचना प्रचलित है, कोविड 19 महामारी के कारण अभियोग में कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं हो सकी है | क्षेत्राधिकारी सरधना, मेरठ द्वारा थानाध्यक्ष / विवेचक को विवेचना का गुण-दोष के आधार पर त्वरित निस्तारण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है |

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:-

शिकायतकर्ता, श्री पदम् सिंह यादव:

श्री अतुल भटनागर, चेयरमैन, सुभरती विश्वविद्यालय, मेरठ से मेरी भूमि खसरा नंबर 976/99 रकबा 7164 वर्ग मीटर का सोदा हुआ था। यह सोदा उनके विश्वासपात्र अरविंद पुत्र श्री लटूर सिंह निवास ग्राम राजपुर, पोस्ट फरुखनगर, जनपद गाजियाबाद के हक़ मे रजिस्टर कराया गया था। जिसमे उनके हिस्से की भूमि का अंकन 35,00,000/- रुपये का एक चैकनंबर 791254 दिनाँक 18-11-2011 पंजाब नेशनल बैंक शाखा दौराला जनपद मेरठ प्राप्त हुआ , लेकिन जब उपयुक्त चैक बाउन्स हो गया, तब इस बाउन्स चैक को लेकर हम श्री अतुलभटनागर के पास गए तो उसके अंगरक्षको ने मेरे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी । श्रीअतुलभटनागर ने मेरी जमीन पर कब्ज़ा कर अपनी बिल्डिंग बना ली और जमीन के पैसे भी नहीं दिए ।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

उपयुक्त विषय के संदर्भ में, आयोग मे पूर्व में दिनाँक 08-07-2020 को हुई सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा यह निर्देशित किया गया था की चैक पर किसके हस्ताक्षर है इस तथ्य की पुष्टि करा ली जाए । क्या आपके द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करवायी गई?

एस पी (ट्रेफिक), श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव:

नहीं महोदय, मैं यहाँ पर नवनियुक्त हूँ। मेरी शिकायतकर्ता से अभी अभी बात हुई है। आरिजिनल चैक इनके पास है, हम उसकी जाँच करवा लेंगे। जिसे यह प्रमाणित हो जाएगा की यह चैक किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है।

शिकायतकर्ता, श्री पदम् सिंह यादव:

महोदय जी, मेरा यह निवेदन है कि या तो श्री अतुल भटनागर मेरी भूमि मुझे वापिस कर दे या फिर मुझे मेरे भूमि के हिस्से के रुपये दे देवे ।

एस पी (ट्रेफिक), श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव:

एक मुकदमा इस मामले मे दर्ज किया गया है जो आयोग के हस्तक्षेप की वजह से ही हो पाया है।

शिकायतकर्ता, श्री पदम् सिंह यादव:

कोई भी वकील आयोग मे इस मामले की पैरवी को तैयार नहीं है।महोदय दोषी व्यक्ति बहुत ही दबंग प्रकृति का है। मैं स्वयं अत्यंत कठिनाई के पश्चात आयोग में उपस्थित हो पाया हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

कृपया आप लोग मामले की गंभीरता को समझे, शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस समय यह सब मामला प्रक्रियाधीन था, उसी समय शिकायतकर्ता के पुत्र की मृत्यु हो गई एवं शिकायतकर्ता की मानसिक स्थिति का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने उसकी जमीन हड़प ली।

एस पी (ट्रेफिक), श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव:

इस मामले मे धारा 406 और 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

यह जो आरिजिनल चैक शिकायतकर्ता के पास है, उसे जाँच अधिकारी को दिलवा दे ताकी इसकी जाँच की जा सके और आप श्री अतुल भटनागर को आयोग मे उपस्थित होने के लिए दबाव बनाए । आप को कार्रवाई के लिए कितने समय की आवश्यकता है?

एसीएम, श्री चंद्रेश कुमार सिंह:

इस मामले मे पुख्ता पुलिस कार्रवाई होनी है, इसलिए एस पी (ट्रेफिक), श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ही बताए की कितने समय की आवश्यकता है।

एस पी (ट्रेफिक), श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव:

एक महीने का समय दे दिया जाए। शिकायतकर्ता के पास जो आरिजिनल चैक है, उसको जाँच अधिकारी को दिलवा कर उसकी जाँच की जाएगी ।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

एक महीने का समय दे दिया जाए और इस प्रकरण का कोई समाधान निकाला जाए ।

<u>सुनवाई के दौरान प्राप्त तथ्य:-</u>

क्षेत्राधिकारी सरधना जनपद मेरठ व जिलाधिकारी जनपद मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या व सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारीगणों व शिकायतकर्ता से प्राप्त तथ्यों के सम्यक अवलोकन के पश्चात आयोग द्वारा पाया गया कि, प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 28.02.2020 को थाना जानी, मेरठ पर मु0अ0सं0 60/2020 धारा 406, 420 भादवि बनाम डॉ. अतुल भटनागर, अरविन्द पंजीकृत किया गया है तथा कोविड 19 महामारी के कारण अभियोग में कोई प्रभावी कार्यवाही अभी तक नहीं हो सकी है | आयोग द्वारा पूर्व सुनवाई में की गयी अपेक्षित कार्यवाही लंबित है |

प्रश्नगत प्रकरण के निस्तारण के क्रम में आयोग द्वारा पूर्व सुनवाई के दौरान अपेक्षित व वर्तमान में लंबित कार्यवाही को पूर्ण कर व पंजीकृत मुक़दमे में की गयी प्रभावी कार्यवाही / स्थिति से आयोग को दिनांक 21.09.2020 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे |

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(जे. रविशंकर)
अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(संदीप कुमार)
निजी सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग